



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/794

टिनांक: 13.01.2026

को,  
प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के परिशिष्ट 2U में संशोधन के संबंध में।**

**संदर्भ संख्या: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 42/2025-26 दिनांक 09 जनवरी, 2026।**

आपको सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार महानिदेशक ने प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (ईबीआरसी) जारी करने के लिए परिशिष्ट 2यू के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।

मौजूदा ई-बीआरसी प्रारूप में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

(i) मौजूदा ईबीआरसी प्रारूप में नए फ़ील्ड जोड़ना:

- जीएसटीआईएन
- जीएसटी चालान संख्या
- जीएसटी चालान की तिथि

(ii) मौजूदा ईबीआरसी प्रारूप में फ़ील्ड स्टरों का संशोधन:

- पता/जीएसटीआईएन को पते में बदल दिया गया है।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :** प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के परिशिष्ट 2U को उपरोक्त परिवर्तनों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है (अनुलग्नक-1)। यह 13 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

कृपया विस्तृत सार्वजनिक सूचना यहाँ देखें:

[https://membership.plasticsepc.org-mails\\_images/20260112061801.pdf](https://membership.plasticsepc.org-mails_images/20260112061801.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सल